क्रम संख्या–224 (क)

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0–30/2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

## उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, मंगलवार, 29 नवम्बर, 2011 ई0
अग्रहायण 08, 1933 शक सम्वत्

### उत्तराखण्ड शासन

शहरी विकास विभाग

संख्या 1545/IV (2)–श0वि0–11–246(सा0)/04–टी0सी0
देहरादून, 29 नवम्बर, 2011

### अधिसूचना

प0 आ0–146

चूंकि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (अधिनियम सं0 2 वर्ष 1959) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 540 की उपधारा (2) के अपेक्षानुसार आपत्तियों और सुझावों को आमंत्रित करने के लिए उत्तराखण्ड नगरीय फेरी तथा सड़क पटरियों पर व्यवसाय (विनियमन एवं प्रबन्धन) नियमावली, 2011 का प्रकाशन सरकारी अधिसूचना संख्या 1132/IV(2)–श0वि0–11–246(सा0)/04 टी0सी0 दिनांक 5 सितम्बर, 2011 में प्रकाशित किया गया था;

और चूंकि उक्त अधिसूचना में उल्लिखित नियत सीमा के भीतर प्राप्त आपत्ति या सुझावों को यथाविधि निस्तारित कर दिया गया है;

अतएव, अब राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 114 के खण्ड (21) और धारा 451 सपठित धारा 453 के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके नगर निगम क्षेत्र के भीतर नगरीय फेरी तथा सड़क पटरियों पर व्यवसाय को विनियमित करने की दृष्टि से निम्नखित नियमावली बनाते है:–

# उत्तराखण्ड नगरीय फेरी तथा सड़क पटरियों पर व्यवसाय ( विनियमन एवं प्रबंधन) नियमावली 2011

**संक्षिप्त नाम, लागू किया जाना और प्रारंभ**

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड नगरीय फेरी तथा सड़क पटरी पर व्यवसाय (विनियमन एंव प्रबंधन) नियमावली 2011 है।
(2) यह सभी नगर निगमों पर लागू होगी।
(3) यह राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से राज्य में प्रवृत्त होगी।

**परिभाषायें**

2. जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

(क) 'अधिनियम' से उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) अभिप्रेत है;

(ख) 'अनुज्ञप्ति' से इस नियमावली के अधीन जारी अनुज्ञा–पत्र अभिप्रेत है;

(ग) 'अनुज्ञापन अधिकारी' से मुख्य नगर अधिकारी या उसके द्वारा इस नियमावली के अधीन पंजीकृत फेरीकर्ताओं की अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु कोई प्राधिकृत अधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) 'नियामक अधिकारी' से मुख्य नगर अधिकारी या उसके द्वारा इस नियमावली के अधीन फेरीकर्ताओं को पंजीकृत करने के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी अभिप्रेत है;

(ड.) 'फेरी वाला' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो बिना किसी स्थायी निर्मित संरचना के किन्तु अस्थायी स्थिर संरचना या चलती फिरती दूकान से या सिर पर भार रखकर बिक्री के लिए जनता को सामान या सेवायें प्रदान करता है। फेरीवाले पटरियों या अन्य सार्वजनिक/निजी क्षेत्रों पर स्थान ग्रहण कर स्थित हो सकते हैं या इस प्रकार चलते फिरते हो सकते हैं कि वे ठेला गाड़ी पर या साईकिल पर या अपने सिर पर टोकरी रखकर या चलती हुई बस आदि में चलकर अपने सामान का विक्रय कर सकते हैं। नगरीय फेरीवाला के अन्तर्गत व्यापारी और सेवाप्रदाता, स्थिर और चलते–फिरते फेरीवाले, पटरीवाला, पटरी व्यापारी आदि सम्मिलित है;

(च) 'सड़क की पटरी' से सड़क के फुटपाथ की ओर स्थित भाग अथवा सड़क के किनारे स्थित भाग अभिप्रेत है;

(छ) 'शुल्क' से अनुज्ञप्ति शुल्क, पंजीकरण शुल्क, मासिक शुल्क या इसी प्रकार का अन्य शुल्क अभिप्रेत है;

(ज) 'गैर प्रतिबन्धित फेरी क्षेत्र' से ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत है जहॉ फेरी व्यवसाय पर नियमों के पालन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का प्रतिबन्ध अधिरोपित नहीं किया गया है;

(झ) 'नियंत्रित फेरी क्षेत्र' से ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत है जहॉ नियामक अधिकारी द्वारा निर्धारित वार, तिथि, समय अथवा अवसर पर फेरी व्यवसाय की अनुज्ञा दी गई है;

(त) 'नो वैण्डिंग जोन' से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें फेरी व्यवसाय हेतु अनुज्ञा जारी नहीं की गई है;

(थ) 'सार्वजनिक स्थान' से ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जो कि आम जनता के उपयोग और मनोरंजन के लिए खुला हो;

(द) 'प्रथम अपीलीय अधिकारी' से नगर निगमों के लिए सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी अभिप्रेत है;

(ध) 'द्वितीय अपीलीय अधिकारी' से नगर निगम के लिए सम्बन्धित मण्डल के मण्डायुक्त अभिप्रेत है।

**प्रतिषेध**

3. कोई भी व्यक्ति इस नियमावली के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना क्षेत्र के अलावा किसी सार्वजनिक स्थान या खुली भूमि पर कोई सामान बेचने, सम्प्रदर्शित करने या लगाने के लिए वाहन खड़ा करने के लिए किसी स्थल को नहीं घेरेगा अथवा फेरी द्वारा सेवा या सामान की बिक्री नहीं करेगा।

**फेरी क्षेत्रों का सीमांकन**

4. प्रत्येक नगर निगम में फेरी क्षेत्रों, स्थानों अथवा बाजारों का चिन्हांकन तथा सीमांकन नियामक अधिकारी द्वारा निम्नानुसार किया जायेगा–

(क) गैर प्रतिबंधित फेरी क्षेत्र (प्रस्तर–2 के बिन्दु (झ) में परिभाषित);

(ख) प्रतिबंधित फेरी क्षेत्र (प्रस्तर–2 के बिन्दु (त) में परिभाषित);

(ग) फेरी रहित क्षेत्र (नो वेण्डिंग जोन);

5. **<u>फेरी व्यवसाय रहित क्षेत्र (नो वैन्डिंग जोन):–</u>**

(1) सार्वजनिक यातायात को सुगम करने, भीड़ को नियंत्रित करने एवं जन स्वास्थ्य तथा सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी स्थान को 'नो वैण्डिंग जोन' घोषित किया जा सकता है।

(2) 'नो वैन्डिंग जोन' में व्यवसाय करने वाले फेरी व्यवसायियों को नगर निगम/नगर पालिका अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अतिक्रमण मानकर निर्धारित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु नियामक अधिकारी सक्षम होगा।

**पंजीकरण एवं अनुज्ञा**

6. (1) फेरीवालों को पंजीकृत करने की शक्ति नियामक अधिकारी में निहित होगी।

(2) पहचान के प्रमाणिक अभिलेखों के आधार पर प्रत्येक नगर के समस्त फेरीवालों को एक साधारण शुल्क पर पंजीकृत किया जायेगा।

(3) प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् पंजीकरण को नवीनीकृत किया जायेगा।

(4) पंजीकरण, प्रपत्र "क" के अनुसार प्रार्थना पत्र के आधार पर किया जायेगा।

(5) प्रत्येक फेरी क्षेत्र की वेडिंग क्षमता आकलित की जायेगी।

(6) फेरी की अनुज्ञा क्षेत्र आधारित जारी की जायेगी।

(7) फेरी अनुज्ञा हेतु आवेदन सभी पंजीकृत फेरीवाले दे सकते हैं तथा यह आवेदन कई फेरी क्षेत्रों हेतु भी दिया जा सकता है।

(8) प्राप्त आवेदनों पर फेरी अनुज्ञा हेतु फेरी व्यवसायियों का चयन फेरी क्षेत्र की वेडिंग क्षमता के आधार पर एक स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रकिया के अधीन किया जायेगा।

(9) चयनित आवेदकों से निर्धारित शुल्क प्राप्त कर उन्हें अनुज्ञप्ति पत्र नियामक अधिकारी द्वारा जारी किये जायेंगे।

(10) विशेष परिस्थितियों में मेलों, मौसमी कार्यक्रमों, त्यौहारों और उत्सवों के लिए अंशकालिक अनुज्ञप्ति आनुपातिक शुल्क जमा कराकर जारी की जा सकेगी। इसके अंतर्गत पूर्व में अनुज्ञा प्राप्त फेरी व्यवसायियों से काई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(11) अनुज्ञप्ति प्राप्त प्रत्येक फेरी व्यवसायी के पहचान–पत्र में निम्नलिखित विवरण उल्लिखित होगा–

(एक) फेरीवाले का नाम, पता तथा फोटो।

(दो) परिवार के किसी भी नामनिर्देशिती का नाम।

(तीन) श्रेणी (स्थिर या चल)।

(चार) फेरी क्षेत्र जहां परिचय–पत्र स्वामी को स्थिर या चल फेरी करने की अनुज्ञा दी गई हो।

(पांच) अनुज्ञति की विधिमान्यता प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी।

(12) फेरीकर्ता द्वारा पहचान–पत्र नियामक अधिकारी को उसके द्वारा मांग किये जाने पर दिखाना होगा,

(13) 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को व्यवसाय के संचालन के लिये अनुज्ञा जारी नहीं की जायेगी।

**अनुज्ञप्ति शुल्क**

7. पंजीकृत फेरीकर्ताओं/फेरीवालों को विहित शुल्क के भुगतान के पश्चात् वार्षिक आधार पर अनुज्ञा–पत्र नियामक अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा। फेरीकर्ताओं/फेरीवालों को अनुज्ञप्तियों के सर्वेक्षण/पंजीकरण और उन्हें जारी करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही नियामक प्राधिकारी द्वारा निरन्तर प्रक्रिया के अधीन की जायेगी।

**राजस्व का संग्रहण**

8. (1) निम्नलिखित के संग्रहण के लिये ठेका पद्धति नहीं अपनायी जायेंगी अपितु नियामक अधिकारी तथा मार्ग फेरीवालों के मध्य सीधा सम्बन्ध होगा–

(क) पंजीकरण शुल्क और अनुज्ञप्ति शुल्क;

(ख) मासिक अनुरक्षण प्रभार;

(ग) अर्थ दण्ड और अन्य प्रभार यदि कोई हों;

(2) वसूल की गयी धनराशि के लिये विहित रसीद फेरीवालों को जारी की जायेगी।

**उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधायं**

9. (1) फेरी बाजारों में आवश्यकता के आधार पर निम्नलिखित सुविधायें उपलब्ध करायी जायेगी–

(क) ठोस अपशिष्ट निपटान के उपबंध;

(ख) सार्वजनिक शौचालय;

(ग) पेयजल का उपबंध;
(घ) प्रकाश व्यवस्था का उपबंध;
(ड.) अन्य सुविधाएं नगर निकाय की दृष्टि में जो आवश्यक एवं उपयुक्त हों।

(2) उपनियम (1) में उल्लिखित सुविधाओं के लिए मासिक प्रभार फेरीवालों द्वारा संदेय होगा

(3) मासिक प्रभारों का विनिश्चय नियामक अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(4) (क) पंजीकृत फेरीकर्ताओं के लिए सामूहिक बीमा योजना लागू की जा सकेगी।
(ख) फेरीकर्ताओं की सामाजिक प्रास्थिति के उन्नयन के लिए गैर सरकारी संगठन की सहायता ली जा सकती है।

(5) नगर निकाय द्वारा बहुमंजिली वेंडिंग (Vending) हॉल विकसित किये जायेंगे।

**अनुश्रवण**

10. नियामक अधिकारी पंजीकृत नगर फेरीवालों (स्थिर या चल) की सूची अनुरक्षित रखेगा। नियामक अधिकारी द्वारा निदेशक, शहरी विकास विभाग को निम्नलिखित बिन्दुओं पर वार्षिक रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी–

(एक) पंजीकृत मार्ग फेरीवालों की संख्या;
(दो) संग्रहीत राजस्वः
(तीन) किये गये उन्नयन संबंधी और अन्य उपाय;
(चार) पंजीकृत शिकायतें एवं उनका निराकरण;
(पांच) उपगत व्यय।
(छः) अन्य सूचनायें, जो निदेशक, शहरी विकास द्वारा मांगी जाए।

**शास्ति अधिरोपण, बेदखली, अधिहरण और अनुज्ञप्ति रद्दकरण**

11. (1) संगत नियमावली के प्राविधानों का उल्लंघन करने की स्थिति में ही शास्ति अधिरोपण, बेदखली अधिहरण और अनुज्ञप्ति रद्दकरण नियामक अधिकारी द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।

(2) जहां लोक बाधा उत्पन्न की जाये वहां स्थान को खाली करने की सम्यक् नोटिस के बाद अर्थ दण्ड अधिरोपित किया जाएगा।

(3) जहां फेरी, गैर फेरी क्षेत्र में की जाये तो स्थान को खाली करने के लिये कम से कम कुछ घंटों का नोटिस दिया जाय और यदि स्थान अधिसूचित समय में खाली नहीं किया गया तो अर्थ दण्ड अधिरोपित किया जाय। यदि नोटिस देने और अर्थ दण्ड के अधिरोपित करने के चौबीस घंटे बाद भी स्थान खाली नहीं किया जाता है, केवल तभी बेदखली की जाय।

(4) नगर निकाय के अधिकारियों द्वारा सामान का अधिहरण करते समय स्थल पर ही पंचनामा तैयार किया जायेगा, जिसमें कम से कम दो स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर होंगे। पंचनामें का विवरण निम्नवत् होगाः–

1– फेरी वाले का नाम;
2– अधिहरण की तिथि, समय एवं स्थान;
3– सामान का भार एवं ठेली/पल्ला (जो भी हो) का विवरण;
4– सामान अधिहरित करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम एवं विभाग का नाम;
5– कार्यालय का विवरण, जहां से अधिहरित सामान नियमानुसार प्राप्त किया जा सकेगा।

(5) अधिहरित सामानों के पंचनामें की फेरी वालें को एक प्रति दी जायेगी तथा जिसकी प्राप्ति भी फेरीवालें से प्राप्त की जायेंगी।

(6) अधिहरित सामानों के सम्बन्ध में मार्ग फेरीवाले युक्तियुक्त समय के भीतर नियामक अधिकारी द्वारा अवधारित किये गये अर्थदण्ड के भुगतान पर अपना सामान वापस पाने के हकदार होंगे।

**निर्बन्धन एवं शर्ते** 12. फेरीकर्ता निम्न वर्णित निर्बन्धनो तथा शर्तो के आधार पर व्यवसाय करेंगे–

(1) फेरीकर्ताओं द्वारा व्यवसाय के प्रयोजनार्थ जनता अथवा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वाद्ययन्त्र या संगीत बजाकर शोर नहीं किया जायेगा।

(2) फेरीकर्ता मार्गो तथा पटरियों की सफाई के लिए और किसी नगर निकाय कार्य को करने के लिये नगर सफाई कर्मचारी वर्ग को पूर्ण सहयोग देंगे।

(3) जनहित में किसी भी समय विधिवत् नोटिस निर्गत कर सुनवाई करने के उपरान्त फेरी अनुज्ञप्ति को नियामक अधिकारी द्वारा निरस्त एवं फेरीकर्ता को फेरी या बिक्री करने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा।

(4) फेरीकर्ता को अपना परिवेश शुद्ध एवं स्वच्छ रखना होगा, किसी प्रकार की गन्दगी, प्रदूषण और दुर्गन्ध नहीं सृजित की जायेगी और पर्यावरण को किसी प्रकार क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।

(5) यातायात में कोई बाधा उत्पन्न नहीं की जायेगी। जन सामान्य के आवागमन और वाहनों के संचालन में अवरोध उंत्पन्न नहीं किया जायेगा।

(6) फेरी व्यवसायी द्वारा मादक पदार्थों तथा अन्य प्रतिबंधित सामग्री का व्यवसाय नहीं किया जायेगा।

(7) फेरी की विहित अवधि में अनुज्ञप्ति पत्र की मांग किये जाने पर उसे सक्षम अधिकारी के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

(8) यदि किसी फेरीकर्ता द्वारा किसी भी समय विहित शर्तो का उल्लंघन किया जाता है अथवा उसके व्यवसाय से यातायात में अवरोध या पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न किया जाना सत्यापित हो जाता है तो नियामक अधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकेगी और आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

**अपील**

13. (1) नियामक अधिकारी के निर्णयों के विरूद्ध प्रभावित पक्ष द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के यहां अपील की जा सकती है।

(2) प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णयों के विरूद्ध प्रभावित पक्ष द्वारा द्वितीय अपीलीय अधिकारी के यहां अपील की जा सकती है।

**शास्ति एवं अपराधों का शमन**

14. (1) जो कोई इस नियमावली के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने के लिए दुष्प्रेरित करेगा उसे 1000/– रूपये (एक हजार रूपये) तक के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जा सकता है।

(2) उप नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस नियमावली के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का प्रशमन, अपराध के लिये नियत अर्थ दण्ड की अन्यून एक तिहाई धनराशि और अनधिक आधी धनराशि की वसूली पर नियामक अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।

आज्ञा से,

**डा0 रणबीर सिंह,**
**प्रमुख सचिव।**

**पी0एस0यू0 (आर0ई0) 27 आ0श0वि0/629–2011–100+25 (कम्प्यूटर/रीजियो)।**